भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 739

02 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

शहरों में आवासीय जल की बढ़ती मांग

739. डॉ. शशि थरूर:
श्री मनोज तिवारी:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की उस रिपोर्ट से अवगत है जिसके अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत के 30 शहरों में जल समाप्त हो जाने का खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए किसी समाधान की तलाश की है तथा वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या ज्यादातर भारतीय शहर केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति प्रति दिन के 135 लीटर जल के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यदि हां, तो उन शहरों का विगत पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है जो अपनी जल की मांगों के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर है;

(घ) क्या कोविड -19 महामारी के बाद से जलाभाव की स्थिति और अधिक विकट हो गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या घरों पर ही अधिक समय व्यतीत करने के कारण आवासीय जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की वेबसाइट पर पोस्ट की गई रिपोर्ट के अनुसार, वाटर रिस्क फिल्टर, जो पानी के जोखिम वाले स्थानों की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए एक ऑनलाइन उपकरण है, का अनुमान है कि दुनिया के 100 शहर 2050 तक पानी में बढ़ रहे सबसे बड़े जोखिम का सामना करेंगे। भारत के 30 शहरों को उन शहरों के रूप में पहचाना गया है, जो अगले कुछ दशकों में पानी के बढ़ते जोखिम का सामना करेंगे। पेज का यूआरएल इस प्रकार है *https://wwf.panda.org/wwf_news/?1018866/Cities-face-alarming-rise-in-water-risks-and-must-urgently-invest-in-greater-resilience*

जल आपूर्ति राज्य का विषय है और शहरी परिवारों को पीने योग्य पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। हालांकि, अपनी नीति और कार्यक्रम पहलों के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को पूरक बनाया है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जिसे 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, का मुख्य बल चयनित शहरों में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास पर है।

मिशन का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार के पास आश्वस्त जल आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन हो। अमृत के तहत कुल स्वीकृत योजना आकार के 77,640 करोड़ रू. में से, 39,010 करोड़ रू. (50%) केवल जल आपूर्ति क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) ने 42,206 करोड़ रू. की 1,345 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 11,511 करोड़ रू. की 739 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 30,336 करोड़ रू. की 587 परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है और 358 करोड़ रू. की 19 परियोजनाओं की निविदा जारी की जा रही है। कुल मिलाकर, 30,520 करोड़ रू. (72%) की जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं।

अब तक, सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए 139 लाख नल कनेक्शनों में से, अमृत के माध्यम से या अन्य योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से अमृत शहरों में 114 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, जल सुरक्षित शहर बनाने के उद्देश्य से, 1 अक्टूबर, 2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) योजना शुरू की गई है, ताकि सभी सांविधिक कस्बों में जल की सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराई जा सके।

(ग): शहरी जलापूर्ति के लिए बेंचमार्क के रूप में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जल की आपूर्ति सुझाई गई है। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में घरों में पानी की वास्तविक आपूर्ति जलापूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(घ) से (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें यह संकेत दिया गया हो कि लोगों द्वारा घर के अंदर अधिक समय बिताए जाने के कारण कोविड-19 महामारी की शुरुआत से आवासीय जल की मांग में वृद्धि हुई है।